## प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 12.06.2024

## कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

विषय पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में व030नि0 राजेश कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु030सं0 237/24 धारा 420/406/504/506 भादसं से संबंधित अभियुक्त रामरेखा पुत्र स्व0 पारसनाथ निवासी ग्राम झंगहा लक्ष्मीपुर टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 15.04.2024 को अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के जीवन बीमा के किश्त की धनराशि से चेक पर वादी से हस्ताक्षर कराकर अधिक रुपये निकाल लेने तथा वापस मांगने पर गाली गलौज देते हुए जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 237/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व आपराधिक इतिहास-

रामरेखा पुत्र स्व0 पारसनाथ निवासी ग्राम झंगहा लक्ष्मीपुर टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

- 1.मु0अ0स0 237/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2.मु0अ0स0 345/2019 धारा 138(1)b भारतीय विद्युत अधिनियम थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी की टीम-

- 1. व030नि0 राजेश कुमार यादव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2. उ0नि0 रमेश चन्द्र चौधरी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर